Neutral Citation No. - **2026**:AHC-LKO:**19414**

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आवेदन, अं./धा. 482, सं. - 2562 वर्ष 2022

पृथ्वी पाल

.... आवेदक(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव, गृह सिविल सचिवालय, लखनऊ एवं एक अन्य

..... विरोधी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : आलोक सिंह, सुशील कुमार सिंह

विरोधी पक्षकार(गण) के अधिवक्ता : शा. अ.

साथ मेः

1. **आवेदन अं./धा.** 482 **सं.** 2592 **वर्ष** 2022

हरपाल सिंह एवं एक अन्य

बनाम

उ. प्र. राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह, लखनऊ एवं एक अन्य

न्यायालय सं. - 30

माननीय न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला

1. आवेदकों की ओर से श्री आलोक सिंह और श्री अनुज पांडे द्वारा सहायता प्राप्त विद्वान् अधिवक्ता श्री सुशील कुमार सिंह, और राज्य के लिए विद्वान् अ.शा.अ. सुश्री मीरा त्रिपाठी को सुना गया।

Translated Version. Not for Legal Use.

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

2. दं.प्र.सं. की धारा **482** के अधीन दाखिल इन दो आवेदनों के माध्यम से, पु.था.- कोतवाली सदर, जिला - खीरी से संबंधित, धारा **188, 269, 270,** भा.दं.सं., आपदा प्रबंधन अधिनियम, **2005** की धारा **51,** और महामारी अधिनियम, **1897** की धारा **3** के अधीन, वाद अपराध सं. **50** वर्ष **2022** (राज्य बनाम आशुतोष वर्मा एवं अन्य) से उत्पन्न वाद सं. **3897** वर्ष **2022** की दांडिक कार्यवाही को, और आरोप-पत्र दिनांक **02.02.2022** और विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खीरी द्वारा पारित समन आदेश दिनांक **11.04.2022** को चुनौती दी गई है। अतः, सामान्य तथ्य और विधि अंतर्ग्रस्त होने के कारण, उन्हें इस निर्णय और आदेश के माध्यम से विनिश्चित किया जा रहा है।

Translated Version. Not for Legal Use.

3. अभियोजन कथानक, जैसा वाद अपराध सं. **50** वर्ष **2022** में दर्ज प्र.सू.रि. दिनांक **15.01.2022** में स्थापित किया गया है, वह है कि उप-निरीक्षक, सुनील कुमार सिंह, पुलिस थाना- कोतवाली सदर, जिला-लखीमपुर, खीरी ने यह कथन करते हुए लिखित-परिवाद प्रस्तुत किया था, कि **15.01.2022** को शाम लगभग **04:38** बजे, जब वह बड़ा चौराहा पर विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपना कार्य कर रहे थे, तब सह-अभियुक्त आशुतोष वर्मा, एक भा.ज.पा. कार्यकर्ता, ने **25-30** अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर, कोविड-**19** दिशानिर्देशों का पालन किए बिना, और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में, सदर कोतवाली के सामने से हीरा लाल धर्मशाला की ओर एक जुलूस निकाला था। आवेदकों ने अपने जुलूस के संबंध में पूर्व-अनुमति

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

प्राप्त नहीं की थी, और जब पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तो वे नहीं रुके और अपना जुलूस जारी रखा था। इस प्रकार, आवेदकों ने दं.प्र.सं. की धारा **144** और आदर्श आचार संहिता के उपबंधों का उल्लंघन किया था। इसलिए, धारा **188, 269** एवं **270,** भा.दं.सं. के अधीन प्र.सू.रि. दर्ज की गई थी।

4. परिवाद के आधार पर, धारा **188, 269** एवं **270,** भा.दं.सं. के अतिरिक्त, आपदा प्रबंधन अधिनियम, **2005** की धारा **51** और महामारी अधिनियम, **1897** की धारा **3** के अधीन भी प्र.सू.रि. दर्ज की गई थी। अन्वेषण के पश्चात्, आरोप-पत्र, आरोप-पत्र सं. **68** वर्ष **2022** दाखिल किया गया है। उपर्युक्त से व्यथित होकर, आवेदकों ने दं.प्र.सं. की धारा **482** के अधीन ये दो आवेदन दाखिल किए हैं।

5. आवेदकों के विद्वान् अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अन्वेषण अधिकारी ने दं.प्र.सं. के आज्ञापक उपबंधों को अनदेखा करते हुए आरोप-पत्र दाखिल किया है। यह प्रतिवाद किया गया है कि धारा **195(1),** किसी लोक सेवक द्वारा लिखित-परिवाद के सिवाय, दं.प्र.सं. आवेदकों एवं अन्य व्यक्तियों के अभियोजन का और संज्ञान लेने का भी वर्जन करती है।

6. इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने, आवेदन, अं./धा. **482,** सं. **3194** वर्ष **2022** (आशुतोष वर्मा बनाम उ. प्र. राज्य एवं एक अन्य) में पारित आदेश दिनांक **17.06.2022** के माध्यम से,

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

आक्षेपित दांडिक कार्यवाही निरस्त कर दी थी। आदेश के सुसंगत भाग निम्नवत् उद्धृत किए गए हैं:-

"6. इस संबंध में, आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ***दुर्गाचरण नायक एवं अन्य बनाम उड़ीसा राज्य, ए आई आर*** *(1966) 1775 में प्रकाशित वाद में दिए गए निर्णय पर विश्वास व्यक्त किया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नवत् निर्णीत किया था:-*

"हमने यह राय अभिव्यक्त की है कि धारा ***195,*** *दं.प्र.सं. किसी अभियुक्त व्यक्ति के ऐसे प्रकट किए गए से भिन्न या तथ्यों से थोड़ा भिन्न अपराध का और उनका, जो उस धारा की परिधि में नहीं आते हैं, विचारण का वर्जन नहीं करती है, किन्तु हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि धारा* ***195*** *के उपबंधों से किसी युक्ति या छलावरण का आश्रय लेकर बचा नहीं जा सकता है। उदाहरण के लिए, इस धारा के उपबंधों से बचने के लिए यह युक्ति नहीं अपनाई जा सकती है कि किसी व्यक्ति पर जिसे यह धारा लागू नहीं होती है, ऐसे अपराध का आरोप लगाया जाए और फिर उसे ऐसे अपराध के लिए, जो लागू होता है, इस आधार पर दोषी ठहराया जाए कि पश्चात्वर्ती अपराध उसी प्रकृति का एक छोटा अपराध है, या अपराध का वर्णन भा.दं.सं. की किसी अन्य धारा के अधीन दंडनीय अपराध के रूप में किया जाए, यद्यपि वास्तव में और सारतः वह अपराध*

''अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।''

*धारा **195,** दं.प्र.सं. में उल्लिखित धाराओं की श्रेणी में आता है। केवल किसी अपराध का, जो मूल रूप से धारा **195** के उपबंधों के अधीन आने वाला अपराध है, स्वरूप या नाम बदलकर, ऐसे अपराध के लिए अभियोजन का संज्ञान, इसका गलत वर्णन करके या उसे गलत नाम देकर नहीं लिया जा सकता है। अपीलार्थीगण की ओर से श्री गर्ग ने सुझाव दिया है कि अपीलार्थीगण का धारा **353,** भा.दं.सं. के अधीन अभियोजन, धारा **195,** दं.प्र.सं. की अपेक्षाओं से बचने के लिए था। किन्तु हम इस बात से संतुष्ट हैं कि इस तर्क में कोई सार नहीं है, और वर्तमान वाद में कोई छलावरण या बचाव नहीं है।"*

*7. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **सी. मुनियप्पन एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य**, 2010(9) **एस सी सी** 567 **में प्रकाशित** वाद में उपर्युक्त निर्णय का अनुसरण किया गया था, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा सं. **35** एवं **36** में निम्नवत् निर्णीत किया है:*

*"**35.** निस्संदेह, विधि, धारा **188,** भा.दं.सं. के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान लेने की अनुमति तब तक नहीं देती है, जब तक कि किसी सक्षम लोक सेवक द्वारा लिखित-परिवाद न किया गया हो। प्रस्तुत वाद में, ऐसा कोई परिवाद कभी दाखिल नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में, और इस संबंध में स्थापित विधिक सिद्धांतों पर विचार करते हुए, हमारा विचार है कि विचारण न्यायालय के लिए भा.दं.सं. की धारा **188** के अधीन आरोप विरचित करना अनुमत नहीं था।*

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

*तथापि, हम इस अग्रेतर निवेदन से सहमत नहीं हैं कि धारा **195,** दं.प्र.सं. के अधीन परिवाद का अभाव, अभियोजन वाद की उत्तपति को मिथ्या साबित कर देता है और पूरे अभियोजन वाद के लिए घातक है।*

***36.** अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं, कि एक निषेधात्मक आदेश लागू था,जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया था, एक दिन पहले इसका सम्यक् प्रचार किया गया था, और जन-सामान्य को सूचित किया गया था; इसका उल्लंघन किया गया था, क्योंकि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा भी इस बात से इन्कार नहीं किया गया है कि कोई "रास्ता रोको आंदोलन" नहीं था। दुर्भाग्य से, यह आंदोलन जो आरंभिक रूप से शांतिपूर्ण ढंग से आरंभ हुआ था, तब उग्र और हिंसक हो गया था, जब सार्वजनिक परिवहन वाहनों पर हमला किया गया था और उन्हें हानि पहुंचाई गई थी। ऐसी स्थिति में, हम अभिनिर्धारित करते हैं कि यदि धारा **188,** भा.दं.सं. के अधीन आरोप खंडित कर दिए जाते हैं, तो भी इसका अभियोजन के मामले पर, जहां तक अन्य अपराधों से संबंधित आरोपों का संबंध है, किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।"*

***8.** अन्वे.अधि. ने, आपदा प्रबंधन अधिनियम, **2005** की धारा **51** के अधीन भी आरोप-पत्र द ाखिल किया है, और उपर्युक्त अधिनियम की धारा **60** कहती है कि कोई न्यायालय, लिखित-परिवाद के सिवाय, किसी आपराधिक मामले का संज्ञान नहीं लेगा। याची के*

''अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।''

अनुसार, इसी तरह के मामलों में, आपराधिक मामलों की कार्यवाही माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा अपास्त की गई हैं।

***9.** आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता ने अग्रेतर इस न्यायालय द्वारा, **श्रीमती सरोज मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य**, **09.09.2019** को विनिश्चित, में दिए गए निर्णय पर विश्वास व्यक्त किया है। उपर्युक्त वाद में, धारा **419, 420, 468, 471, 171** एवं **181,** भा.दं.सं. के अधीन प्र.सू.रि. दर्ज की गई थी। न्यायालय ने धारा **195,** दं.प्र.सं. पर विचार किया था, जिसकी उपधारा **(क)(i)(ii)** कहती है कि कोई न्यायालय, संबंधित लोक सेवक के लिखित-परिवाद के सिवाय, धारा **172** से **188,** भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, या ऐसा अपराध कारित करने के लिए किसी दुष्प्रेरण या प्रयास का, या ऐसा अपराध कारित करने के लिए किसी भी आपराधिक षड्यंत्र का संज्ञान नहीं लेगा।*

***10.** दं.प्र.सं. की धारा **195(1)(क)(i-क),** न्यायालय को धारा **188,** भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध का, या उसके दुष्प्रेरण या प्रयास का संज्ञान लेने का वर्जन करती है, जब तक संबंधित लोक सेवक द्वारा कोई लिखित-परिवाद दाखिल न किया गया हो।*

***11.** आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता ने अग्रेतर बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा **हला श्वे एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, दां. अपील**-453-20 **जे** में **21.09.2020** को*

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

*विनिश्चित, मामले में दिए गए निर्णय पर विश्वास व्यक्त किया है। यह, विदेशी अधिनियम की धारा **14**, आपदा प्रबंधन अधिनियम, **2005** की धारा **51** और महामारी अधिनियम, **1897** की धारा **3** के अधीन एक वाद था। उपर्युक्त निर्णय में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दं.प्र.सं. की धारा **195(1)** की परिधि और व्याप्ति पर विचार किया था और निष्कर्षित किया था कि अन्वे.अधि. ने धारा **188**, भा.दं.सं. के अधीन प्र.सू.रि. दर्ज करने में अपने अधिकार-क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया था, और निर्णीत किया था कि पुलिस द्वारा किया गया अन्वेषण अधिकार-क्षेत्र से बाहर था और इसके बाद, धारा **482**, दं.प्र.सं. के अधीन दाखिल याचिका अनुज्ञात की थी, और अन्वे.अधि. द्वारा धारा **188, 269, 270**, भा.दं.सं., विदेशी अधिनियम की धारा **14**, आपदा प्रबंधन अधिनियम, **2005** की धारा **51**, और महामारी अधिनियम, **1897** की धारा **3** के अधीन प्रस्तुत आरोप-पत्र, विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग मानते हुए, अपास्त कर दिया गया था।*

***12.** आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता ने अग्रेतर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा, **पवन गिरी एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य**, **07.02.2022** को विनिश्चित, वाद में दिए गए निर्णय पर विश्वास व्यक्त किया है। उपर्युक्त वाद में, प्र.सू.रि. धारा **188** एवं **279**, भा.दं.सं. के अधीन दर्ज की गई थी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने धारा **188** एवं **279**, भा.दं.सं. पर चर्चा की थी और संप्रेक्षित किया था कि धारा **195**, दं.प्र.सं. का निर्बंधन कार्यवाही वर्जित करता है। यह भी संप्रेक्षित किया गया था कि*

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated Version. Not for Legal Use.

अभिलेख पर कुछ भी साक्ष्य नहीं था कि याचीगण और उनके परिवार के सदस्य किसी संक्रामक बीमारी से पीड़ित थे या किसी संक्रामक बीमारी फैलाना कारित करते। इसके अभाव में, यह नहीं माना जा सकता है कि याचीगण या तो संक्रमण के वाहक थे या उसका फैलाना कारित किया होगा।

***13.** इसी प्रकार से, प्रस्तुत वाद में भी अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जो यह दर्शित करता है कि उस जनसमूह का कोई व्यक्ति किसी संक्रामक बीमारी से पीड़ित था, या उक्त जनसमूह के किसी भी सदस्य के संपर्क में आने के बाद किसी अन्य व्यक्ति को वह संक्रामक बीमारी हुई हो।*

***14.** पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने निर्णीत किया है कि केवल धारा **188,** भा.दं.सं. के अधीन प्रस्तुत आरोप-पत्र के आधार पर, आवेदक/याची को अभियोजित नहीं किया जा सकता है, और विद्वान् उच्च न्यायालय ने उक्त कार्यवाही खारिज कर दी थी .*

***15.** अंत में, आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, **दांडिक अपील सं**. 211 **वर्ष** 2019 **में, नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, मनु/एस सी**/0135/2019 में प्रकाशित, **04.02.2019** को विनिश्चित, मामले में दिए गए निर्णय पर विश्वास व्यक्त किया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णीत*

Translated Version. Not for Legal Use.

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

*किया है कि मजिस्ट्रेट ने एक निजी परिवाद के आधार पर, यदि वह, धारा **195(1)** एवं **1(ख)** द्वारा बाधित और आवरित है, अपराध का संज्ञान लेने में त्रुटि की है।*

***16.** इस न्यायालय की यह राय है कि धारा **188**, भा.दं.सं. के अधीन किसी मामले में, अभिकथित अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध केवल, धारा **195(1)(क)**, दं.प्र.सं. के अधीन ही परिवाद दाखिल किया जा सकता है। इस मामले में, अन्वे.अधि. ने मामले का अन्वेषण किया है और आरोप-पत्र प्रस्तुत किया है, और संबंधित मजिस्ट्रेट ने उसका संज्ञान लिया है, जो विधि की दृष्टि में अनुमत नहीं है।*

***17.** उपर्युक्त संप्रेक्षणों के साथ, इस न्यायालय की यह राय है कि धारा **482**, दं.प्र.सं. के अधीन दाखिल वर्तमान आवेदन अनुज्ञात किए जाने योग्य है, और अन्वे.अधि. द्वारा दाखिल किया गया आरोप-पत्र खारिज किए जाने योग्य है।*

***18.** तदनुसार, याची के विरुद्ध, पु.था.- कोतवाली सदर, जिला-खीरी से संबंधित, धारा **188, 269, 270**, भा.दं.सं., आपदा प्रबंधन अधिनियम, **2005** की धारा **51**, और महामारी अधिनियम, **1897** की धारा **3** के अधीन वाद अपराध सं. **50** वर्ष **2022** (राज्य बनाम आशुतोष वर्मा एवं अन्य) से उत्पन्न दां. वाद सं.**3897** वर्ष **2022** के आधार पर आरंभ की गई संपूर्ण कार्यवाही, साथ में, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खीरी के विद्वान् न्यायालय द्वारा पारित समन आदेश दिनांक **11.04.2022** को भी, एतद्द्वारा खारिज किया जाता है, और धारा **482**, दं.प्र.सं. के अधीन दाखिल आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।"*

''अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।''

7. इस दृष्टि से, वर्तमान आवेदन भी उन्हीं निबंधनों पर अनुज्ञात किए जाते हैं। पु.था.- कोतवाली सदर, जिला-खीरी से संबंधित, धारा **188, 269, 270,** भा.दं.सं. के अधीन वाद अपराध सं. **50** वर्ष **2022 (**राज्य बनाम आशुतोष वर्मा एवं अन्य**),** आपदा प्रबंधन अधिनियम, **2005** की धारा **51** और महामारी अधिनियम, **1897** की धारा **3** से उत्पन्न, दांडिक वाद सं. **3897** वर्ष **2022** के आधार पर आवेदकों के विरुद्ध आरंभ की गई संपूर्ण कार्यवाही, और आरोप-पत्र दिनांक **02.02.2022** और विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खीरी द्वारा पारित समन आदेश दिनांक **11.04.2022** एतद्द्वारा अपास्त किए जाते हैं।

8. धारा **482,** दं.प्र.सं. के अधीन दाखिल आवेदन अनुज्ञात किए जाते हैं।

मार्च 17, 2026
प्रतिमा

(**न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला**)

Translated Version. Not for Legal Use.

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"